भाखड़ा ब्यास प्रबंन्ध बोर्ड (बीबीएमबी) इसके बाद 'प्रिंसीपल' संदर्भित

और

_____इसके बाद "बोलीकर्ता/ठेकेदार" संदर्भित

<u>प्रस्तावना</u>

प्रिंसिपल अपनी संगठनात्मक प्रक्रिया के अधीन_____ के लिए ठेका/ठेके देना चाहता है। प्रिंसिपल के लिए सभी संबंधित विद्यानों,नियमो,विनियमों का अनुपालन,संसाधनों का किफायती प्रयोग और अपने बोलीकर्ता(ओं) तथा/अथवा ठेकेदार(ठेकेदारों) के साथ निष्पक्ष/पारदर्शी संबंध महत्वपूर्ण है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल ने इंजी.चन्द्र मोहन वालिया तथा इंजी. नरेन्दर सिंह के स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता (आई.ई.एम) नियुक्त किया है जो नीचे दिए गए सिदांतों के निविदा प्रक्रिया तथा ठेका कार्य के निवारन की निगरानी करेंगे।

धारा-1-प्रिंसिपल की प्रतिबद्वताएं

1. प्रिंसिपल,भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने और निम्नलिखित सिद्वांतो का पालन करने हेतु प्रतिबद्व हो:-

क) प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी संबंधित निविदा के संबंध में अथवा ठेके का निष्पादन के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा परिवार के स्दस्यों के माध्यम से, स्वयं अपने अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई ऐसा वचन नहीं लेगा अथवा कोई ऐसी सामग्री अथवा तत्वहीन लाभ स्वीकार नहीं करेगा जिसके लिए उसकी विधिक पात्रता नहीं है।

ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रिंसिपल सभी बोलीकर्ताओं के प्रति समान दृष्टिकोण रखेंगा। प्रिंसिपल, विशेषकर निविदा प्रक्रिया से पहले अथवा इसके दौरान सभी बोलीकर्ताओं को समान सूचना उपलब्ध कराएगा और किसी भी बोलीकर्ता को ऐसी गोपनीय/अतिरिक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराएगा जिसका प्रक्रिया अथवा संविदा निष्पादन के संबंध में बोलीकर्ता कोई लाभ प्राप्त कर सके।

ग) प्रिंसिपल सभी ज्ञात पूर्वाग्रहग्रस्त व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखेगा।

2. यदि प्रिंसिपल अपने किसी कर्मचारी के आचरण के संबंध में सूचना प्राप्त करता है कि यह समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय दंड संहिता,1860/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 (आईपीसी/पीसी अधिनियम) के अंतर्गत एक आपराधिक आचरण है अथवा इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, तो प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है।

धारा-2- बोलीकर्ता(ओं)/ ठेकेदार (ठेकेदारों) की प्रतिबद्धताएं

1. बोलीकर्ता/ ठेकेदार, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने हेतु प्रतिबद्ध रहें। निविदा प्रक्रिया में भागीदारी और संविदा निष्पादन के दौरान वे लिम्नलिखित सिद्वांतों के पालन हेतु प्रतिबद्ध हो।

क) बोलीकर्ता/ ठेकेदार संविदा के निष्पादन के दौरान निविदा प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन में संलिप्त प्रिंसिपल के किसी कर्मचारी अथवा किसी तीसरे व्यक्ति को सीधे अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से बदले में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए कोई वचन अथवा कोई ऐसी सामग्री अथवा अन्य कोई लाभ नहीं देगा जिसके लिए उसकी विधिक पात्रता नहीं है।

ख) बोलीकर्ता/ ठेकेदार अन्य बोलीकर्ताओं के साथ काई भी अघोषित,औपचारिक अथवा अनोपचारिक करार या समझोता नहीं करेगा। यह विशेषकर प्रतिस्परर्धात्मकता को सीमित करने अथवा बोली प्रक्रिया का केन्द्रीकरण करने के लिए मुल्यों विशिष्टताओं,प्रमाणनों, सहायक ठेकों,बालियों को प्रस्तुत करने अथवा न करने अथवा किसी अन्य कार्रवाई पर लागू हो।

ग) बोलीकर्ता/ ठेकेदार संबंध आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्य नहीं करेगा; इसके अतिरिक्त बोलीकर्ता/ठेकेदार,प्रतिस्पर्धा अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रिंसीपल द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सूचना या कार्य से संबंधित याचनाओं,तकनीकी

प्रस्तावों और इलेट्रानिक रूप में विद्यमान अथवा उपलब्ध करायी गई सूचना सहित कार्य से संबंधित ब्योरों के दस्तावेज किसी को नहीं सौंपेगा।

घ) विदेशी मूल के बोलीकर्ता/ठेकेदार भारत में अपने एजेन्ट/प्रतिनिधि यदि कोई हो के नाम और पते के जानकारी देंगे। इसी प्रकार, भारतीय नागरिक्ता के बोलीकर्ता/ ठेकेदार अपने विदेशी प्रमुखों, यदि कोई हों, के नाम और पते की जातकारी देंगे। बोलीकर्ता(ओं)/ ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय ऐजेन्टों से संबंधित दिशार्निदेशों में यथावर्णित ब्योरों दिए जाऐगे। इसके अतिरिक्त, दिशर्निदेशों में यथा उल्लिखित भारतीय ऐजेन्टो/प्रतिनिधि को किया जाने वाला समस्त भुगतान केवल भारतीय रूपये मे होगा।

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय ऐजेन्टों से संबंधित दिशार्निदेश की प्रति (अनुबंध – क)

ड. बोलीकर्ता/ ठेकेदार अपनी बोली करते समय ठेका दिए जाने के संबंध में ऐजेन्टों,दलालों अथवा किन्ही अन्य बिचोलियों को उसके द्वारा किए गए प्रतिबद्व अथवा किए जाने वाले सभी भुगतानों की जानकारी देगा।

2. बोलीकर्ता/ ठेकेदार तीसरे व्यक्तियों को उपर बताए गए अपराध करने हेतु नहीं उकसाएगा और न ही ऐसे अपराधों में सहायक होगा।

धारा-3- निविदा प्रक्रिया से पात्रता की समाप्ति और भावी संविदाओं से बाहर रखा जाना।

यदि बोलीकर्ता/ ठेकेदार ठेका दिए जाने से पहले अथवा इसके निष्पादन के दौरान उक्त धारा के उल्लंघन द्वारा अथवा किसी अन्य रूप में जिससे उनकी विश्वसनीयता अथवा साख पर प्रश्नचिन्ह लगे, अतिक्रमण करता है तो प्रिंसीपल, निविदा प्रक्रिया से बोलीकर्ता/ ठेकेदार की पात्रता समाप्त करने अथवा " व्यापारिक व्यावहार प्रतिबंधित करने संबंधी दिशानिर्देश (अनुबंध-ख) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने का हकदार है।

धारा-4- क्षति के लिए क्षतिपूर्ति

यदि प्रिंसिपल ने धारा-3 के अनुरूप ठेका दिए जाने से पहले निविदा प्रक्रिया से बोलीकर्ता की पात्रता समाप्त करनी है, तो प्रिंसिपल बयाना राशि जमा/बोली प्रतिभूति के बराबर क्षति पूर्ति की मांग और वसूली करने का हकदार है।

2. यदि प्रिंसिपल ने धारा-3 के अनुरूप संविदा समाप्त कर दी है, अथवा यदि प्रिसीपल ने धारा-3 के अनुरूप संविदा समाप्त करने का हकदार है, तो प्रिंसीपल,ठेकेदार से संविदा मूल्य की परिसमाप्त क्षति अथवा कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी के बराबर राशि की मांग और वसूली करने का हकदार होगा।

धारा-5- पूर्व अतिक्रमण

1. बोलीकर्ता घोषित करता है कि पिछले तीन वर्षो मे किसी भी देश में किसी अन्य कम्पनी के साथ अथवा भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसा कोई पूर्व अतिक्रमण नहीं हुआ है जो उसके निविदा पक्रियासे बाहर करने को उचित ठहरा सके।

2. यदि बोलीकर्ता इस विषय में गलत बयानी करता है, तो निविदा प्रक्रिया से उसकी पात्रता समाप्त की जा सकती है और व्यापारिक व्यावहार प्रतिबंधित करने संबंधी दिशानिर्देश मे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा-6- सभी बोलीकर्ताओं/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के साथ समान व्यावहार।

1. बोलीकर्ता/ठेकेदार, सभी उप-ठेकेदारों से इस अखंडता समझौते के अनुरूप एक प्रतिबद्वता की मांग करने और संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे प्रिंसिपल को प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

2. प्रिंसिपल सभी बोलीकर्ताओं/ठेकेदार तथा सभी उप-ठेकेदारों के साथ, ऐसी ही समान शर्तो के साथ करार करेगा।

3. प्रिंसिपल उन सभी बोलीकर्ताओं की निविदा प्रक्रिया से पात्रता समाप्त कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा अथवा इसके उपबंधों का उल्लंघन करेगा।

धारा-7- बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार (ठेकेदारों)/ उप ठेकेदार (उप-ठेकेदारों) द्वारा उल्लंघन के लिए आपराधिक आरोप।

यदि प्रिंसिपल किसी बोलीकर्ता/ठेकेदार तथा उप-ठेकेदार अथवा बोलीकर्ता ठेकेदार अथवा उप ठेकेदार के किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या सहायक के ऐसे अपराध की जानकारी

प्राप्त करता है जो भ्रष्टाचार को संस्थापित करता है, अथवा यदि प्रिंसीपल को इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, तो प्रिंसीपल इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

धारा-8- सवतंत्र बारी निगरानीकर्ता

1. प्रिंसिपल ने इस समझौते के लिए योग्य एवं विश्वसनिय सवतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता नियुक्त किए है। निगारानीकर्ता का कार्य इस बात की सवतन्त्र एवं निष्पक्ष समीक्षा करना है कि क्या पार्टियां इस करार के अंतर्गत दायित्वों का निर्वाह कर रही है और किस सीमा तक कर रही है।

2. निगरानीकर्ता पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्य तटस्थता से एवं स्वतन्त्र रूप से निष्पादित करता है। वह अध्यक्ष, बीबीएमबी को रिपोर्ट करता है।

3. बोलीकर्ता/ठेकेदार स्वीकार करते हैं कि निगरानीकर्ता को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों सहिज प्रिंसीपल के सभी परियोजना दस्तावेजों की बेरोकटोक जांच करने का अधिकार है। ठेकेदार भी अनुरोध करने और वैद्य हित का प्रदर्शन करने पर निगरानीकर्ता को अपने परियोजना दस्तावेजों की बेरोकटोक एवं बिना केसी शर्त के जांच करने देगा। यही नियम उप-ठेकेदारों पर भी लागू है। निगरानीकर्ता का संविदात्मक दायित्व है कि वह बोलीकर्ता(ओं) ठेकेदार (ठेकेदारों)/ उप ठेकेदार (उप-ठेकेदारों) की सूचना तथा दस्तावेजों की गोपनीय बनाए रखे।

4. प्रिंसिपल निगरानीकर्ता को परियोजना से संबद्व पार्टियों के मध्य सभी बैठकों के बारें में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराएगा बशर्ते कि ऐसी बैठकों का प्रिंसिपल तथा ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ता हो। पार्टियां निगरानीकर्ता को ऐसी बैठकों में भाग लेने के विकल्प हेतु प्रस्तावित करती है।

5. निगरानीकर्ता को जैसे ही इस करार के उल्लंधन का पता चले अथवा उसे ऐसा विश्वाश हो तो वह प्रिंसीपल के प्रबंधन को इसकी लिखित सूचना देगा और प्रबंधन से इसे रोकने अथवा सुधारत्मक कार्रवाई करने, अथवा अन्य संबंधित कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। निगरानीकर्ता इस संबंध में अबाध्यकारी संस्तुतियां प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता को पार्टियों से ऐसी मांग करनें का कोई अधिकार नहीं है कि वे

किसी विशेष ढंग से कार्य करें, कार्रवाई न करें अन्यथा कार्रवाई में उदारता बरतें।

6. निगरानीकर्ता प्रिसीपल द्वारा निर्देशित किए जाने अथवा सूचित किए जाने की तिथि से 8 से 10 स्पताह के भीतर अध्यक्ष,बीबीएमबी को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि आवश्यकता पड़े तो समस्यापरक स्थितियों के सुधार हेतु प्रस्ताव पंस्तुत करेगा।

7. यदि निगरानीकर्ता ने अध्यक्ष,बीबीएमबी को संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध की प्रमाणिक सूचना दी है और अध्यक्ष,बीबीएमबी ने ऐसे अपराध के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त समय के भीतर प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की है और न ही मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित किया है, तो निगरानीकर्ता यह सूचना सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भी भेज सकता है।

8. निगरानीकर्ता शब्द में एक अथवा कई दोनों ही समिलित है।

धारा-9- समझौते की अवधि

यह समझौता दोनो पार्टियों द्वारा विधिक रूप से हस्ताक्षर किए जाने पर आरम्भ होगा। यह ठेकेदार के लिए ठेके के अंतर्गत अंतिम भुगतान के 10 माह बाद और अन्य सभी बोलीकर्ताओं एवं---------- के लिए ठेका दिए जाने के ------- माह बाद समाप्त होगा।

यदि इस अवधि के दौरान कोई दावा किया जाता है तो, यदि अध्यक्ष,बीबीएमबी द्वारा इसका निपटान/निर्धारण न किय गया हो तो, उपरोक्त के अनुसार इस समझौते के समाप्त होने के बावजूद यह बाध्यकर एवं कायम रहेगा।

धारा-10- अन्य उपबंध

* यह करार भारतीय कानूनों के अधीन होगा और इसके कार्य निष्पादन का स्थान एवं अधिकार क्षेत्र प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय अर्थात चण्डीगढ़ होगा।

- किसी परिवर्तन ,तथा अनुपूर्ति ,साथ ही समासी सूचनाएँ लिखित रूप में देना अवश्यक है । पार्श्व करार नहीं किए गए हैं!

- यदि ठेकेदार कोई भागीदारी अथवा कोई कंजोट्रियम है ,तो इस करार पर सभी भागीदारों अथवा कंजोट्रियम के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

- यदि इस करार का एक अथवा कई उपबंध अवैध हो जाएँ तो इस करार के शेष उपबंध वैध बने रहेंगे । इस स्थिति में , पार्टिया अपनी मूल भावना के अनुरूप किसी सहमति पर पहुचेंगी ।

(प्रिंसिपल के लिए और उनकी ओर से) (बोलीकरता /ठेकेदार के लिए और उनकी ओर से)

(कार्यालय की मोहर) (कार्यालय की मोहर)

स्थान ----------

तिथि ----------

सक्षम 1 : _____

(नाम व पता)

सक्षम 2 : _____

(नाम व पता)

अनुबंन्ध-क

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भारतीय एजेंटों के लिए दिशा निर्देश

0.0 सभी ग्लोबल (ओपन) टेंडर और लिमिटेड के लिए एजेंटो का पंजीकरण आवश्यक होगा। जो एजेंट बीबीएमबी प्लाटों/यूनिटों से पंजीकृत नहीं है वे पंजीकरण के लिए निर्धारित फार्म मे पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

1.0 किसी पंजीकृत एजेन्ट नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित अधिप्रमाणित फोटोस्टेट कापी/मूल प्रमाण पत्र पस्तुत करेगा जिसमें एजेन्सी एग्रीमैंन्ट की पुष्टि की गई हो और बीबीएमबी प्लाटों/यूनिटों द्वारा आदेश जारीकरने से पूर्व प्रिंसीपल द्वारा एजेंट को दिए जा रहे कमीशन/परिश्रमिक/वेतन/प्रतिधारण शुल्क स्लिप और एजेन्ट द्वारा एंजोए किए जा रहे स्टेटस का उल्लेख किया गया हो।

1.2 जब कभी भारतीय प्रतिनिधि अपने प्रिंसिपल की ओर से सम्प्रेषित करता है और विदेशी पार्टी कहती है कि वे भारतीय एजेंटों को कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं और भारतीय प्रतिनिधि केवल वेतन के आधार पर अथवा रिटेनर के रूप में काम कर रहा है तो इस आशय के लिए आदेश को अन्तिम रूप देने से पहले पार्टी (अर्थात प्रिंसिपल) द्वारा लिखित घोषणा करनी चाहिए।

2.0 भारत में एजेन्टों/प्रतिनिधियों के विवरण का प्रकटीकरण यदि कोई हो।

2.1 विदेशी राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपनी पेशकश में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा:-

2.1.1 भारत में एजेन्टों/प्रतिनिधियों का नाम तथा पता यदि कोई है, और प्रिंसिपलों की वचनबद्वता के लिए दिए गए अथोराईजेशन और प्राधिकार की सीमा एजेन्ट/प्रतिनिधि के किसी विदेशी कम्पनी का होने की स्थिति में, यह पुष्टि की जाएगी कि यह वास्तव मे महत्वपूर्ण कम्पनी है और इस बारे उसका विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा।

2.1.2 भारत में ऐसे एजेन्ट/प्रतिनिधि के लिए कमीशन/परिश्रामिक की राशि उर्द्वत मूल्य (मूल्यों) मे सम्मिलित की गई है।

2.1.3 यदि भारत में एजेन्टो/प्रतिनिधियों को कमीशन/पारश्रमिक देय है तो निविदाकर्ता की सन्तुष्टि के लिए बीबीएमबी द्वारा इसका भुगतान केवल भारतीय रूपयों में किया जाए।

2.2 भारतीय राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपनी पेशकश में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:-

2.2.1 विदेशी प्रिंसिपलों के नाम और पते में उनकी राष्ट्रीयता के साथ उनके स्टेटस को दर्शाया जाए अर्थात क्या निर्माणकर्ता अथवा निमार्णकर्ता के एजेन्टों के पास प्रिंसिपल का अथारिटी आफ लैटर है, विशेषकर सीधे रूप में अथवा एजंन्टों/प्रतिनिधियों के माध्यम से निविदा का उत्तर देने के लिए एजेन्ट को भारत में आफर करने हेतु अथांराईज किया गया है।

2.2.2 निविदाकर्ता द्वारा अपने उर्द्वत मूल्य में कमीशन/पारश्रमिक की राशि सम्मिलत होगी।

2.2.3 निविदाकर्ता के विदेशी प्रिंसिपल के पुष्टिकरण से निविदाकर्ता के लिए कोई कमीशन/पारश्रमिक उर्द्वत मूल्य में आरक्षित है तो इसका भुगतान बीबीएमबी द्वारा परियोजना के सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने अथवा परिचालन आईटमों के मामले में स्टोर्स और स्पेयर्स की स्पलाई के उपरांत भारत में भारतीय रूपयों में किया जाए।

2.3 किसी केस में संविदा का कार्यान्वित करने में, संविदा के अन्तर्गत अनुबंध पत्र जारी होने के बाद 90 दिनों की समाप्ति पर भारत में ऐजंन्टों/प्रतिनिधियों को यदि कोई कमीशन/पारश्रमिक दिया जाना देय हो तो भुगतान शर्तो के अनुसार उसका भुगतान भारतीय रूपयों में किया जाए।

2.4 उपरोक्त पैराग्राफ- 2.0 में मांगी गई सही एवं विस्तृत सूचना प्रस्तुत ने करने पर दिया गया सम्बंधित टेण्डर अस्वीकृत किया जाएगा अथवा बीबीएमबी द्वारा संविदा

के कार्यान्वित करने वाले एजेन्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीबीएमबी के साथ व्यापारिक व्यवहार पर प्रतिबंध अथवा निर्धारित राशि के भुगतान का दण्ड भी होगा।

अनुलगनक-ख

व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने संबंधी दिशानिर्देश

कर्म संख्या विवरण

1. प्रस्तावना
2. कार्य क्षेत्र
3. परिभाषा
4. प्रतिबंध /निलंब्न का आरंभ
5. व्यापारिक वयव्हार का निलंबन
6. व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने की कार्यवाही आरंभ करने का आधार
7. व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करना
8. अनुमोदित एजेंसियां आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारो आदि की सूची से हटाना
9. कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया
10. सक्षम अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील
11. सक्षम अधिकारी के निर्णय की समीक्षा
12. व्यापारिक वयव्हार से प्रतिबंधित एजेंसियां के नामों का परिचालन

i. प्रस्तावना :

1.1 बीबीएमबी ,भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत गठित एक वृद्ध संगठन है जो जल एवं विधुत की आपूर्ति के लिए भागीदार राज्यो से संबधित है । बीबीएमबी को अपने वाणिज्यक हितों की

भी रक्षा करनी होती है । बीबीएमबी ऐसी एजेंसियों से वयव्हार रखता है जिनके लिए कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा ,प्रतिबद्धताएँ एवं निष्कपटता आतियंत उच्च कोटी की है। ऐसी एजेंसियों से संब्ध रखना बीबीएमबी के हित्त मे नहीं है जो उन्हें सोंपे गए ठेके / जारी किए गए आदेशो के निष्पादन में छल कपट,धोखा धड़ी अथवा अन्य कदाचार करते है । सविधानिक अधिदेशों का अनुपालन सुनिशिचत करने के लिए बीबीएमबी के लिए आवश्यक है कि वह किसी एजेंसी के साथ व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का पालन करें ।

1.2 चूँकि संबन्धित एजेंसी के लिए व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने के नागरिक परिणाम संबंद्ध है, अतः आवश्यक है कि सुनवाई का उपयुकत अवसर उपलब्ध कराया जाए और यदि कोई सपष्टीकरण दिया जाए तो इस संबंध में कोई आदेश पारित करने से पहले मामले के तथ्यों एवं परिस्थित्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए।

<u>कार्य क्षेत्र</u>

2.1 बीबीएमबी की संविदा के लिए सामान्य शर्ते (जी सी सी) में सामान्यता व्यावस्था है कि यदि किसी एजेंसी को कदाचार का दोषी पाया जाए तो बीबीएमबी के पास उसका नाम अनुमोदित अपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारो की सूची में से हटाने अथवा व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने और जांच के दौरान व्यापारिक वयव्हार निलिंबित रखने का भी अधिकार सुरक्षित है । यदि किसी जीसीसी में एसी व्यावस्था विधमान नहीं है तो इसे शामिल किया जाए ।

2.2 इसी प्रकार ,सामग्री कि बिक्री के मामले में एक खण्ड ऐसी एजेंसियों /उपभोगताओं /खरीदारों के संबंध में है जो अप्राधिकृत ढंग से सामाग्री उठाने में संलिप्त है । यदि किसी विक्रय आदेश में ऐसी शर्त नहीं लगाई गयी हो तो इसे शामिल किया जाए

2.3 तथापि, ऐसे खण्ड की अनुपस्थिति ,कंपन्नी को उपयुकत मामलो में इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही करने /निर्णय के अधिकार को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं करती ।

2.4 इन दिशानिर्देश में (1)एजेंसी का नाम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारो की सूची से हटाना ;(2) निलंबन और ;(3) एजेंसियों के साथ व्यापारिक व्यव्हार प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया दी गयी है ।

2.5 ये दिशानिर्देश बीबीएमबी के सभी संयत्रों /यूनिटों एवं सहायक कंपनिया पर लागू है ।

2.6 यह स्पष्ट किया जाता है की ये दिशानिर्देश किसी एजेंसी विशेष के खराब/ अनुपयुकत प्रदर्शन के कारण अथवा किसी अन्य कारण से प्रबंधन धारा उसे स्वीकार न करने के निर्णय से संबंध नहीं रखते ।

2.7 पृतिबंध भविष्य प्रभावी होगा अर्थात भावी व्यापारिक वयव्हार को प्रभावित करेगा ।

3) परिभाषाएँ

इन दिशानिर्देशों में , जब तक कि प्रसंगवश अन्यथा आवश्यक न हो :

!) पार्टी/ठेकेदारो/आपूर्तिकर्ता /विक्रेता /उपभोक्ता का तात्पर्य किसी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी अथवा निजी लिमिटेड कम्पनी ,किसी पंजीकृत अथवा गैर वेयकितक फर्म,किसी सहकारी समिति अथवा किसी एसोसिएशन अथवा वाणिज्य , व्यापार ,उद्योग आदि में संल्पित व्यक्तियों के किसी समूह से होगा और वे इसमे शामिल होंगें । इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में पार्टी/ ठेकेदारो/आपूर्तिकर्ता /विक्रेता /उपभोक्ता को एजेंसी के रूप में दर्शाया गया है ।

2) अन्तर-संबद्ध एजेंसी से तात्पर्य निम्नलिखत विशेषताओं वाली दो या इससे अधिक कंपनियों से होगा ;

क) यदि पहली या दूसरी एक सहायक कम्पनी हो ।

ख) यदि निदेशक ,भागीदार ,प्रबन्धक अथवा प्रीतिनिधि एक हों ।

ग) यदि प्रबंधन एक हो ।

घ) यदि एक के पास ,किसी भी ढंग से दूसरी का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो ।

3) सक्षम प्राधिकारी और अपीलीप प्राधिकारी से तात्पर्य निम्नलिखत होगा ;

क) इन दिशानिर्देशों के संबंध में कंपनी को सम्पूर्ण बीबीएमबी में प्रीतिबंधित करने के लिए निदेशक (तकनीकी) सक्षम प्राधिकारी होंगें। आयातित कोयले/कोक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ वियापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने को छोड़कर ,ऐसे मामलो के लिए अध्यक्ष बीबीएमबी अपीलीप प्राधिकारी होंगें ।

ख) आयातित कोयले/कोक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने के लिए बीबीएमबी निदेशक समिति (एसडीसी) सक्षम प्राधिकारी होगी।

एसडीसी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए अध्यक्ष , प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

ग) यदि विदेशी आपूर्तिकर्ता प्रथम अपीलीप प्राधिकारी के निर्णय से संतुषट न हो , तो वह द्वितीय अपीलीप प्राधिकारी के रूप में बीबीएमबी बोर्ड से संपर्क कर सकता है।

घ) केवल सयंत्रो/ यूनिटों के लिए

इन दिशानिर्देशों के संबंध में संबन्धित सयंत्रो/ यूनिटों के मुख्य कार्यकारी द्वारा नियुक्त अथवा नामित कोई अधिकारी जो महाप्रबंधक/अतिरिक्त निदेशक से कम

रैंक का न हो, सक्षम प्राधिकारी होगा । ऐसे सभी मामलो में संबन्धित सयंत्र / यूनिट का मुख्य कार्यकारी अपीलीप प्राधिकारी होगा ।

ड़) केवल केन्द्रीय कार्यालय के लिए

केवल केन्द्रीय कार्यालय की अवशिकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री की खरीद / ठेके के दिए जाने के लिए सीएसएसजी का प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होगा और निदेशेक (तकनीकी) अपीलीप प्राधिकारी होगा ।

च) अध्यक्ष बीबीएमबी के पास उपलब्ध अथवा उनके द्वारा प्राप्त की गयी किसी जानकारी पर सवप्रेरणा से कारवाई करने और इन निर्देशों के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश (आदेशों) को संशोधित करने सहित जैसा वे उपयुक्त समझें वैसा आदेश पारित करने की समग्र शक्तियाँ होंगी ।

iV) अन्वेषण विभाग से तात्पर्य एजेंसी के आचरण की जांच कर रहे किसी विभाग अथवा यूनिट से होगा और हमसे सतर्कता विभाग ,केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राज्य पुलिस अथवा जांच करने की शक्तियाँ प्राप्त केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित कोई अन्य विभाग शामिल होंगे ।

V) अनुमोदित एजेंसियों –पार्टियों /ठेकेदारो /आपूर्तिकर्तायों /विक्रेताओं /ग्राहको से तात्पर्य

अनुमोदित/पंजीकृत एजेंसियों – पार्टियों /ठेकेदारो /आपूर्तिकर्तायों /विक्रेताओं /ग्राहको आदि से है और इनमे ये शामिल हों ।

4) प्रतिबंध /निलंबन का आरंभ

किसी एजेंसी की और से अनियमिताओं अथवा कदाचार का पता लगाने के बाद उनसे व्यापारिक वयव्हार रखने वाले विभाग द्वारा उनके साथ व्यापारिक व्याव्हार प्रतिबंधित /निलंबित करने हेतु कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए । संबन्धित विभाग के अतिरिक्त , सतर्कता विभाग अथवा प्रत्येक सयंत्र / यूनिट/केन्द्रीय सतर्कता भी

एसी कार्यवाही आरंभ करने हेतु सक्षम होंगे ।

5) व्यापारिक वयव्हार का निलंबन

यदि बीबीएमबी से संबन्धित किसी एजेंसी के आचरण की किसी विभाग द्वारा जांच की जा रही हो (आयातित कोयले/कोक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को छोड़कर) सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार कर सकते है कि क्या जांच अधीन आरोप गंभीर प्राकृति के है और क्या जांच के लंबित रहते एजेंसी के साथ व्यपारिक वयव्हार जारी रखना उचित होगा । यदि सक्षम प्राधिकारी अन्वेषन विभाग कि संस्तुति ,यदि कोई हो ,सहित मामले पर विचार करने के बाद ,यह निर्णय लेते है कि जांच के लंबित रहते व्यापारिक वयव्हार जारी रखना हितकर नहीं होगा ,तो वे एजेंसी के साथ व्यापारिक वयव्हार निलंबित कर दें । संबधित आदेश में जांच अधीन आरोप का सार दर्शाया जाए । यदि यह निर्णय लिया गया है कि अंतर संबंध एजेंसियां भी निलंबन आदेश कि परिधि में शामिल होगी तो,आदेश में इसका विशेष उल्लेख किया जाए । निलंबन आदेश ६ महीने के अधिक अवधि के लिए प्रचलित नहीं होगा और इसे एजेंसी के साथ साथ अन्वेषन विभाग को भी संप्रेषित किया जाए । अन्वेषन विभाग सुनिश्चित करे कि एसी अवधि के भीतर उनकी जांच पूरी हो और अंतिम आदेश कि सम्पूर्ण प्रक्रिया समापत हो जाए ।

5.2) निलंबन आदेश सयंत्रो/ यूनिटों के भीतर सभी विभागअध्यक्षों को संप्रेषित किया जाएगा । निलंबन अवधि के दौरान एजेंसी के साथ कोई व्यापारिक वयव्हार न किया जाए ।

5.3) जहा तक संभव हो ,यदि सक्षम प्राधिकारी मामले कि परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्णय न करे तो एजेंसी के साथ विधमान संविदा (संविदाए) जारी रखी जाए ।

5.4) यदि जांच अधीन कदाचार अत्यन्त गंभीर पृकृति का हो और जांच के लंबित रहते एसी एजेंसी से संबंध रखना समस्त रूप से बीबीएमबी के हित में नहीं होगा ,तो

सक्षम प्राधिकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) ,बीबीएमबी को अपनी संस्तुतिया भेजे । यदि केन्द्रीय कार्यालय समझता है कि कदाचार कि गंभीरता को देखते हुए बीबीएमबी के सभी सयंत्रो/ यूनिटों तथा सहायक कंपनियो के लिए संबन्धित एजेंसी से कोई संबंध रखना उपयुकत नहीं होगा ,तो केन्द्रीय कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यापारिक वयव्हार निलंबित करते हुए सभी सयंत्रो/ यूनिटों को एक आदेश जारी किया जाए ,जिसकी प्रति संबन्धित एजेंसी को प्रश्ठंकित की जाए । एसा आदेश जारी होने की तिथि से ६ महीने की अवधि के लिए प्रचालित होगा ।

5.5) आयातित कोयले /कोक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक वयव्हार निलंबत करने की निमिनलिखित प्रक्रिया होगी :

१)विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का निलंबन सहायक कंपनियो सहित सम्पूर्ण कंपनी पर लागू होगा ।

२) ई डी (सी आई जी) द्वारा अग्रसारित अथवा केंद्रीय सतर्कता द्वारा सीधे प्राप्त शिकायत के आधार पर ,यदि जांच अधीन कदाचार गंभीर प्राकृति का पाया जाए और ऐसा समझा जाए कि जांच के लंबित रहते ,ऐसी एजेंसी से संबंध जारी रखना बीबीएमबी के हित में नहीं होगा ,तो केन्द्रीय सतर्कता मामले में ऐसी संस्तुति ,निमंलिखित अधिकारिओ की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ,कार्यकारी निदेशक ,कोयला आयात समूह (ईडी,सी आई जी) को भेजेगा ।

1. कार्यकारी निदेशक (वित एवं लेखा),केंद्रीय वित्त प्रमुख ।

2. कार्यकारी निदेशक, सी आई जी/ सी आई जी के प्रमुख –समिति के सयोंजक ।

3. कार्यकारी निदेशक,सी एस एस जी /,सी एस एस जी केन्द्रीय कार्यालय के प्रमुख ।

4. . कार्यकारी निदेशक(विधि)केन्द्रीय विधि प्रमुख ।

समिति ,रिपोर्ट की शीघ्रतापूर्वक परीक्षा करेगी ,और ईडी,सी आई जी के पत्र की प्राप्ति से इक्कीस दिन के भीतर अपनी टिप्पणिया/ संस्तुति देगी ।

३)इसके बाद ईडी,सी आई जी द्वारा ,समिति की टिप्पणिया /संस्तुतिया कोयले के आपात के लिए गठित बीबीएमबी निदेशको की समिति (एस डी सी) के समक्ष रखी जाएगी । यदि एस डी सी की राय में यह मामला निलंबन के योग्य है, तो एस डी सी अवश्यक आदेश पारित करेगी जिसे ईडी,सी आई जी द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ता को संप्रेषित किया जाएगा ।

5.6 यदि संबन्धित एजेंसी निलंबन के विस्तृत कारणो की मांग करे तो ,एजेंसी को सूचित किया जाए कि उसका आचरण जांच के अधीन है । इस चरण पर एजेंसी के साथ पत्राचार अथवा तर्क-वितर्क करना अवश्यक नहीं है ।

5.7 निलंबन आदेश जारी करने से पहले एजेंसी को कारण बताओ नोटिस देना अथवा व्यक्तिगत सुनवाई करना अवश्यक नहीं है । तथापि , यदि ६ माह के समय में जांच पूरी नहीं होती तो ,सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि अगले तीन महीने तक आगे बढ़ा सकते है ,जिसके दौरान जांच अनिवार्यात पूरी होनी चाहिए ।

6. व्यापारिक वयव्हार प्रीतिबंधित करने की कार्यवाही आरंभ करने का आधार

6.1 यदि एजेंसी की सरकार के प्रति निष्ठा पर प्रशंनचिन्ह सहित ,सुरक्षा के लिहाज से ऐसा उचित सिद्ध होता हो ।

6.2 यदि पाँच वर्षो के दौरान एजेंसी का निदेशक /स्वामी ,फर्म का स्वामी अथवा भागीदार , सरकार अथवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उध्यम अथवा बीबीएमबी के साथ अपने वियापारिक वयव्हार के संबंध में नैतिक भ्रष्टता संबंधी अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो ।

6.3 यदि पूरा विश्वाश हो कि एजेंसी के निदेशक, स्वामी, भागीदार, मालिक, घूसख़ोरी भृष्टाचार, धोखाधड़ी, निविदाएँ बदलने अंतर्वेशन आदि जैसे कदाचार के दोषी रहे हैं !

6.4 यदि एजेंसी बिना किसी उपयुकत कारण के बीबीएमबी के कार्यो को व्यक्त करने से लगातार इंकार करता हो और यह किसी तर्कसंगत विवाद के कारण न हो जिसके लिए म्ध्यस्थता अथवा न्यालय में कार्यवाही की जा सके ।

6.5 यदि एजेंसी किसी बर्खास्त /पदच्युत किए गए लोक –सेवक को रोजगार देती है जो भृष्टाचार से संबंध अपराध अथवा किसी ऐसे अपराध के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराया गया हो ।

6.6 यदि सरकार अथवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उदम द्वारा एजेंसी के साथ व्यापारिक वयव्हार पर प्रतिबन्ध लगाया गया हो ।

6.7 यदि एजेंसी ने तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने सहित भृष्ट ,धोखाधड़ी पूर्ण वयव्हार का सहारा लिया हो ।

6.8 यदि एजेंसी ,संविदा के अंतर्गत कार्य स्वीकार करने /कार्य निष्पादन में कंपनी बीबीएमबी अथवा इसके कर्मचारी को डराती /धमकाती हो अथवा बाहरी दबाव डालती हो।

9 यदि एजेंसी सविन्दात्मक शर्तो के पालन में बार बार और /अथवा जानबूझ कर देरी करती हो ।

6.10 एजेंसी द्वारा बिना इस बात की परवाह किए कि कंपनी (बीबीएमबी) ने डिस्पैच – पूर्व निरीक्षण किया है अथवा नहीं ,जानबूझ कर बार बार घटिया सामग्री की आपूर्ति की जाती हो ।

6.11 कंपनी (बीबीएमबी) से संबन्धित मामलो अथवा दूसरे मामलो में भी एजेंसी के दुर्भावपूर्ण /गैर कानूनी क्रत्यों अथवा अनुचित आचरण के लिए उसके विरुद्ध सीबीआई /पुलिस की जांच रिपोर्ट के नतीजो के आधार पर ।

6.12 अनुचित लाभ पाने के लिए एजंसी की सुस्थापित मुकदमेबाज प्राकृति ।

6.13 अनेक ठेको में एजंसी का लगातार खराब परदर्शन ।

6.14 यदि एजंसी ,कंपनी (बीबीएमबी) के परिसर अथवा सुवधाओं का दुरुपयोग करती है , भूमि ,जल संसाधन ,वन /वर्क्ष आदि सहित कंपनी की संपति पर जबरन कब्जा करती है, छेड़-छाड़ करती है अथवा नुकसान पहुचाती है ।

(नोट : ऊपर दिये गए उदाहरण केवल व्याख्यातमक है ,संपूरण नहीं । सक्षम प्राधिकारी किसी उचित एवं प्रयाप्त कारण के लिए व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने का निर्णय ले सकते है ।)

7. व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करना

7.1 समान्यतया ,किसी एजेंसी के साथ व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने का निर्णय ,सहायक कंपनियो सहित संपूर्ण कंपनी पर लागू होना चाहिए । तथापि, यदि किसी विशेष मामलो में संबन्धित सयंत्र /यूनिट द्वारा व्यापारिक वयव्हार पर प्रतिबंधि से उदेश्य की पूर्ति हो जाती है लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और स्थानीय हालातो एवं सयंत्र /यूनिट से बाहर इस कदाचार / चूक के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण कंपनी के लिए प्रतिबंधित करना अवश्यक नहीं है तो केंद्रीय कार्यालय को छोड़कर सयंत्र /यूनिट के सक्षम प्राधिकारी केवल यूनिट-वार एसा प्रतिबन्ध लगा सकते है । केंद्रीय कार्यालय द्वारा लगाया गया कोई प्रतिबन्ध सहायक कंपनियो सहित कंपनी के सभी सयंत्रों /यूनिट पर लागू होगा ।

7.2 आयातित कोयले /कोक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओ के साथ व्यापारिक वयव्हार पर प्रतिबन्ध लगाने को छोड़कर कंपनी –वार पर्तिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव , सयंत्र/यूनिट एसीवीओ के द्वारा सयंत्र/यूनिट के मुख्य कार्यकारी के माध्यम से सीवीओ को भेजा जाना चाहिए जिसमे मामले के तथ्यो एवं प्रस्तावित कारवाई के औचित्य का उल्लेख करते हुए सभी संबन्धित कागजात एवं दस्तावेज़ साथ भेजना चाहिए । केंद्रीय सतर्कता ,संपूर्ण कंपनी के लिए प्रतिबंध लगाने हेतु नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले पर प्रथम्द्रष्ट्या

राय प्राप्त करने के लिए सयंत्र /यूनिट के प्रस्ताव को प्रकिर्यबद्ध करेगा । सीवीओ अन्य सभी सयंत्रों /यूनिटों से एजेंसी के बारे में फीड बैक प्राप्त करेगा । इस फीड बैक के आधार पर ,सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम्द्र्ष्ट्या प्रतिबंध लगाने हेतु अथवा अन्यथा निर्णय लिया जाएगा । यदि प्रथम्द्र्ष्ट्या संपूर्ण कंपनी के लिए प्रतिबंधित करने का लिया गया हो तो केंद्रीय सतर्कता द्वारा एजेंसी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि क्यों न इसे संपूर्ण बीबीएमबी में प्रतिबंधित कर दिया जाए ।

एजेंसी के उत्तर तथा अन्य प्रस्थितियों एवं मामले के तथ्यो पर विचार करने के बाद , सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण कंपनी के लिए प्रतिबंध लगाने हेतु अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

7.3 मुख्य कार्यकारी द्वारा कोयले /कोक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओ के साथ व्यापारिक व्यवहार पर पर्तिबंध लगाने को छोड़कर व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने के मामले को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए प्रत्येक सयंत्र /यूनिट में एक स्थापी समिति नियुक्त की जाएगी । तथापि केवल के केंद्रीय कार्यालय कि अवश्यकताओ कि पूर्ति के लिए सामाग्री कि खरीद / ठेका दिये जाने के लिए ,समिति में परिचालन ,वित्त ,विधि तथा सीएसएसजी प्रत्येक में महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक शामिल होंगे । सीएसएसजी के सदस्य , समिति के सायोंजक होंगे । समिति के कार्यो में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखत कार्य शामिल होंगें :

i) जांच एजेंसी कि रिपोर्ट का अध्यन करना और कि क्या प्रथमद्र्श्ट्य संपूर्ण कंपनी/स्थानीय यूनिट –वार प्रतिबन्ध के लिए मामला बनता है, यदि नहीं, तो मामला सक्षम प्राधिकारी को वापस लौटाना ।

ii) संबन्धित विभाग द्वारा एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश करना।

iii) कारण बताओ नोटिस की परीक्षा करना और यदि अवश्यक हो तो एजंसी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाना ।

iV) सक्षम प्राधिकारी को प्रतिबन्ध लगाने अथवा अंतिम संस्तुति प्रस्तुत करना ।

7.4 यदि सक्षम प्राधिकारी की प्रथम्द्रष्ट्या राय है कि एजेंसी के साथ व्यापारिक वयव्हार पर प्रतिबंधित करना अवश्यक है तो परिछेद 9.1 के अनुसार एजेंसी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और तदनुसार जांच कराई जाए ।

7.5 आयातित कोयले/कोक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओ के साथ व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया :

i) एजेंसियों पर प्रतिबन्ध सहायक कंपनियो सहित सम्पूर्ण कंपनी के लिए लागू होगा ।

ii) ईडी (सीआईजी) द्वारा अग्रसारित अथवा केंद्रीय सतर्कता द्वारा सीधे प्राप्त की गयी शिकायत के आधार पर केंद्रीय सतर्कता द्वारा जांच कराई जाएगी । जांच के बाद कदाचार की गंभीरता के अनुसार केंद्रीय सतर्कता अपनी रिपोर्ट निम्नलिखत अधिकारिओ की एक समिति के सक्षम रखे जाने के लिए कार्यकारी निदेशक ,कोयला आयात समूह को भेजेगा :

1. ईडी(एफ एण्ड ए) केंद्रीय वित्त प्रमुख
2. ईडी,सीआईजी / सीआईजी प्रमुख –समिति के संयोजक
3. ईडी,सीएसएसजी/ सीएसएसजी प्रमुख ,केन्द्रीय कार्यालय
4. ईडी(विधि)/ केंद्रीय विधि प्रमुख

समिति रिपोर्ट की जांच करेगी और ईडी,सीआईजी के पत्र की प्राप्ति के 21 दिन के भीतर अपनी टिप्पणिया /संस्तुतिया पृस्तुत करेगी ।

iii) ईडी,सीआईजी द्वारा समिति की टिप्पणिया /संस्तुतिया को कोयले के आयात के लिए गठित निदेशको की समिति (एस डी सी) के समक्ष रखा जाएगा । यदि एस डी सी की राय में प्रतिबंध की करवाही आरंभ करने के लिये यह एक उपयुकत मामला हो तो वह ईडी,सीआईजी को एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निदेश देगी जिसका उत्तर उपयुकत अवधि के भीतर देना होगा ।

iV) उत्तर की प्राप्ति अथवा निर्धारित अवधि समाप्त होने पर ईडी (सीआईजी) द्वारा मामला विचार करने एवं निर्णय हेतु (एसडीसी) को प्रस्तुत किया जाएगा ।

V) ईडी (सीआईजी) द्वारा एजेंसी को एसडीसी का निर्णय संप्रेषित किया जाएगा ।

8.अनुमोदित एजेंसियो –आपूर्तिकर्ताओ /ठेकेदारो आदि की सूचि से हटाना ।

8.1 यदि सक्षम प्राधिकारी का निर्णय है कि एजेंसी के विरुद्ध आरोप छोटी प्रकृति का है तो वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते है कि क्यों न एजेंसी का नाम अनुमोदित एजेंसियो–आपूर्तिकर्ताओ /ठेकेदारो आदि की सूची से हटा दिया जाए ।

8.2 ऐसे आदेश का प्रभाव यह होगा कि एजेंसी खुली निविदा जांच में भाग लेने के योग्य बनी रहेगी किन्तु एजेंसी को एलटीई नहीं दिया जाएगा ।

8.3 ठेके देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु कारवाई करते समय एजेंसी के पिछले परदर्शन का ध्यान रखा जाए ।

9. कारण बताओ नोटिस

9.1 ऐसे मामलो में यहाँ सक्षम प्राधिकारी का निर्णय है कि एजेंसी के विरुद्ध कारवाई अवश्यक है , एजेंसी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए । कारण बताओ नोटिस में कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोप का ब्योरा दिया जाए और एजेंसी से 15 दिन के भीतर अपने बचाव में एक लिखित ब्यान प्रस्तुत करने को कहा जाए ।

9.2 यदि एजेंसी बीबीएमबी के पास उपलब्ध किसी संबद्ध दस्तावेज़ का निरीक्षण करने का अनुरोध करे ,तो दस्तावेजो के निरीक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए ।

9.3 सक्षम प्राधिकारी विचार करे और निम्नलिखत के लिए उचित एवं स्पष्ट आदेश पारित करे ;

क) यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो एजेंसी को दोष –मुक्त ठहराने हेतु

ख) एजेंसी को अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारो आदि कि सूचि से हटाने हेतु

ग) एजेंसी के साथ व्यापारिक वयवहार प्रतिबंधित करने हेतु ।

9.4 यदि व्यापारिक वयवहार प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जाता है तो प्रतिबंध की अवधि का उल्लेख भी किया जाए। आदेश में यह उल्लेख भी किया जाए कि प्रतिबंध का विस्तार एजेंसी कि अंतर -संबद्ध एजेंसिया तक होगा ।

10. सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील

10.1 एजेंसी सक्षम प्राधिकारी के व्यापारिक वयवहार आदि पर प्रतिबंध के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकती है। यह अपील अपीलीप प्राधिकारी को की जाएगी । ऐसी अपील , व्यापारिक वयवहार आदि प्रतिबंधत करने के आदेश की प्राप्ति से एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

10.2 अपीलीप प्राधिकारी अपील पर विचार करेंगे और उपयुकत आदेश पारित करेंगे जो एजेंसी के साथ साथ सक्षम प्राधिकारी को भी संप्रेषित किया जाएगा ।

11 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय की समीक्षा

एजेंसी द्वारा अपीलीप प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने से पहले या बाद में अथवा अपीलीप प्राधिकारी द्वारा अपील निपटान के बाद विदमान दिशानिर्देश के

अंतर्गत मुख्य कार्यकारी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से पारित किए गए प्रतिबंध आदेश की समीक्षा के संबंध में दायर की गई किसी याचिका /आवेदन , समीक्षा याचिका पर मुख्य कार्यकारी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए तथ्यों /पृस्थितिओ अथवा बाद की घटनाएँ जिनके कारण समीक्षा की अवश्यकता पड़ी ,के प्रकट होने पर निर्णय किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी, इस याचिका को जांच एवं संस्तुतियो के लिए स्थायी समिति को भेज सकते है ।

12. व्यापारिक वयव्हार से प्रतिबंधित एजेंसियो के नामो का परिचालन

12.1 सिद्ध कदाचार की गंभीरता के अनुसार ,केंद्रीय कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी व्यापारिक व्यापार से प्रतिबंधित एजेंसियों के नाम मनोचित कार्यवाई हेतु सरकारी विभागो ,अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उदमों को परिचालित करें ।

12.2 यदि सरकारी विभाग अथवा कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्म व्यापारिक व्यवहार से प्रतिबंधित एजेंसी के बारे में अधिक जानकारी हेतु अनुरोध करे तो जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी /अपीलीप प्राधिकारी के आदेश की प्रति की आपूर्ति की जाए ।

12.3 यदि एजेंसी के साथ व्यापारिक वयव्हार केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्म द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो तो बीबीएमबी आगे कोई पूछताछ अथवा जांच किए बिना एजेंसी तथा इसकी अन्तर-संबद्ध एजेंसियो के साथ व्यापारिक वयव्हार प्रतिबंधित करते हुए एक आदेश जारी करे ।

12.4 उपयुकत के आधार पर,सयंत्र/यूनिट दिशानिर्देशों के कार्यान्व्मन हेतु अपनी प्रक्रिया प्रतिपादित करें ।

प्रेषक

सचिव

सेवा में

इं. नरेन्दर सिंह
भूतपूर्व सदस्य,एचपीएसबी,
मकान नं. 844, सैक्टर 11,
पंचकुला, हरियाणा 134112

ज्ञापन नं. सीवीओ/पीएस/गोपनीय दिनांक:

विषय: स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के रूप में नियुक्ति: अखंडता समझौते का अधिग्रहण।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बीबीएमबी के कार्य में अखंडता, पारदर्शिता,निष्पक्षता और प्रतिस्परर्धात्मक्ता को बढावा देने के लिए बीबीएमबी मे अखंडता समझैतों को अपनाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त अंखंडता समझौता कार्यक्रम को लागू करने के लिए बीबीएमबी आपको भाखड़ा ब्यास प्रबंन्ध बोर्ड में स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार रखता है। यह नियुक्ति निम्नलिखित विसिष्ट कार्यो के लिए कार्यग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी।

स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता की भूमिका/कार्य:

i) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता बीबीएमबी में भ्रष्टाचार,घूसखारी तथा अन्य अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम का निरीक्षण करने का दयित्व होगा।

ii) वह अन्य भ्रष्टाचार विरोधी सगंठन जैसे मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) से ताल-मेल रखने का प्रयत्न करेगा।

iii) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के पास कोई प्रशासकीय अथवा प्रवर्तन की जिम्मेदारियां नहीं होंगी।

iv) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के पास संविदा के सभी दस्तावेज जब भी आवश्यक्ता पड़े उपलब्ध होने चाहिए संगठन के सभी स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता को निविदा की चल रही जानकारी लेने के लिए दो माह के भीतर आपस में बैठक करनी चाहिए।

v) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता को संगठन के मुख्य कार्यकारी के साथ पिछले महीनों में दिए गए टेण्डरों पर प्रति माह बैठक में विचार विमर्श समीक्षा करना आवश्यक है।

vi) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करेंगे और यथाशीघ्र संगठन के मुख्य को अपनी संस्तुतियां/विचार प्रस्तुत करेंगे। गम्भीर अनियमितताओं के सन्देह होने, जिसके लिए कानूनी/प्रशासकीय कार्रवाई की जानी आवश्यक है की स्थिति में वे अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी और कमीशन को भी भेज सकते है।

vii) एन.आई.टी में कम से कम एक स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता का उल्लेख होना चाहिए। तथापि किसी टेन्डरिंग प्रक्रिया मे उत्पन्न हुई शिकायतों को डील करने मे अपेक्षित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने क लिए स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के पूरे पैनल द्वारा मामले की जांच होनी चहिए, जो रिकार्ड को देखकर इसकी पूरी जांच करेगा और प्रबन्धन को अपनी संयुक्त संस्तुतिया प्रस्तुत करेगा।

viii) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता की सिफारिशें सलाह के रूप में होगी जो विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होंगी। उस समय यह समझना होगा कि स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता प्रबंन्धन के परामर्शी नहीं है। उनकी भूमिका स्वतन्त्र प्रकृति की है और किए गए टेन्डर पर दिया गया परामर्श संगठन के पुनर्विचार करने की शर्त के अधीन नहीं होगा।

ix) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता की नियुक्ति से संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की भूमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता द्वारा जांच किए जा रहे मामले की जांच सीवीसी अधिनियम अथवा सतर्कता पुस्तिका के उपबन्धों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी भी यदि कोई शिकायत उसे अथवा कमीशन द्वारा उसे सीधे भेजी जाती है अलग से कर सकता है।

x) यदि स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता को किसी अनियमितता को सन्देह हो तो उसे इस बारे अध्यक्ष, बीबीएमबी को सूचित करना होगा। यदि स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता को एक बार इस बात की पुष्टि हो जाए कि अनयमितता बरती गई है तो वह मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी सूचित कर सकता है।

xi) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता अपना कार्य निष्पदा और स्वतन्त्र रूप से करेगा।

xii) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं)/ठेकेदार (ठेकेदारों)/उप ठेकेदार (उप ठेकेदारों) की सूचना और कागजातो को सदैव गोपनीय रखेंगे और इस बारे में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को नहीं बताएगें।

1. **<u>नियुक्ति की अवधि</u>**

आपकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसके बाद आयुक्त द्वारा अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। आगे आपकी नियुक्ति किसी भी तरफ से एक मास के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

2. **<u>परिलब्धियां</u>**

आपको प्रति बैठक 15000/- रूपए की निश्चित राशि दी जाएगी।

(दौरे के दौरान यात्रा तथा आवास की सुविध संगठन के सदस्य के बराबर होंगी)

3. **<u>रिपोर्टिंग अधिकारी</u>**

आपको अध्यक्ष, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ को रिपोर्ट करना होगा।

यह अध्यक्ष,बीबीएमबी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सचिव

प्रेषक

सचिव

सेवा में

इं. चन्दर मोहन वालिया
भूतपूर्व निदेशक,एचपीपीसीएल
मकान नं. 24, भूतल, बाजार

बौयलागंज,शिमला,
हिमाचल प्रदेश- 171005

ज्ञापन नं. सीवीओ/पीएस/गोपनीय दिनांक:

विषय: स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के रूप में नियुक्ति: अखंडता समझौते का अधिग्रहण।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बीबीएमबी के कार्य में अखंडता, पारदर्शिता,निष्पक्षता और प्रतिस्परर्धात्मक्ता को बढावा देने के लिए बीबीएमबी मे अखंडता समझैतों को अपनाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त अंखंडता समझौता कार्यक्रम को लागू करने के लिए बीबीएमबी आपको भाखड़ा ब्यास प्रबंन्ध बोर्ड में स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार रखता है। यह नियुक्ति निम्नलिखित विसिष्ट कार्यो के लिए कार्यग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी।

स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता की भूमिका/कार्य:

xiii) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता बीबीएमबी में भ्रष्टाचार,घूसखारी तथा अन्य अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम का निरीक्षण करने का दयित्व होगा।

xiv) वह अन्य भ्रष्टाचार विरोधी सगंठन जैसे मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) से ताल-मेल रखने का प्रयत्न करेगा।

xv) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के पास कोई प्रशासकीय अथवा प्रवर्तन की जिम्मेदारियां नहीं होंगी।

xvi) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के पास संविदा के सभी दस्तावेज जब भी आवश्यक्ता पड़े उपलब्ध होने चाहिए संगठन के सभी स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता को निविदा की चल रही जानकारी लेने के लिए दो माह के भीतर आपस में बैठक करनी चाहिए।

xvii) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता को संगठन के मुख्य कार्यकारी के साथ पिछले महीनों में दिए गए टेण्डरों पर प्रति माह बैठक में विचार विमर्श समीक्षा करना आवश्यक है।

xviii) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करेंगे और यथाशीघ्र संगठन के मुख्य को अपनी संस्तुतियां/विचार प्रस्तुत करेंगे। गम्भीर अनियमितताओं के सन्देह होने, जिसके लिए कानूनी/प्रशासकीय कार्रवाई की जानी आवश्यक है की स्थिति में वे अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी और कमीशन को भी भेज सकते है।

xix) एन.आई.टी में कम से कम एक स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता का उल्लेख होना चाहिए। तथापि किसी टेन्डरिंग प्रक्रिया मे उत्पन्न हुई शिकायतों को डील करने मे अपेक्षित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने क लिए स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता के पूरे पैनल द्वारा मामले की जांच होनी चहिए, जो रिकार्ड को देखकर इसकी पूरी जांच करेगा और प्रबन्धन को अपनी संयुक्त संस्तुतिया प्रस्तुत करेगा।

xx) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता की सिफारिशें सलाह के रूप में होगी जो विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होंगी। उस समय यह समझना होगा कि स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता प्रबंन्धन के परामर्शी नहीं है। उनकी भूमिका स्वतन्त्र प्रकृति की है और किए गए टेन्डर पर दिया गया परामर्श संगठन के पुनर्विचार करने की शर्त के अधीन नहीं होगा।

xxi) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता की नियुक्ति से संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की भूमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता द्वारा जांच किए जा रहे मामले की जांच सीवीसी अधिनियम अथवा सतर्कता पुस्तिका के उपबन्धों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी भी यदि कोई शिकायत उसे अथवा कमीशन द्वारा उसे सीधे भेजी जाती है अलग से कर सकता है।

xxii) यदि स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता को किसी अनियमितता को सन्देह हो तो उसे इस बारे अध्यक्ष, बीबीएमबी को सूचित करना होगा। यदि स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता

को एक बार इस बात की पुष्टि हो जाए कि अनयमितता बरती गई है तो वह मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी सूचित कर सकता है।

xxiii) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता अपना कार्य निष्पदा और स्वतन्त्र रूप से करेगा।

xxiv) स्वतन्त्र बाहरी निगरानीकर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं)/ठेकेदार (ठेकेदारों)/उप ठेकेदार (उप ठेकेदारों) की सूचना और कागजातो को सदैव गोपनीय रखेंगे और इस बारे में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को नहीं बताएगें।

1. **<u>नियुक्ति की अवधि</u>**

आपकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसके बाद आयुक्त द्वारा अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। आगे आपकी नियुक्ति किसी भी तरफ से एक मास के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

2. **<u>परिलब्धियां</u>**

आपको प्रति बैठक 15000/- रूपए की निश्चित राशि दी जाएगी।

(दौरे के दौरान यात्रा तथा आवास की सुविध संगठन के सदस्य के बराबर होंगी)

3. **<u>रिपोर्टिंग अधिकारी</u>**

आपको अध्यक्ष, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ को रिपोर्ट करना होगा।

यह अध्यक्ष,बीबीएमबी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सचिव